सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 369 **17 Baishakh, 1941(S)**

Ranchi, Tuesday, 7th May, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

25th April, 2019

Notification No. - 7/2019 – State Tax(Rate)

S.O. No. 48 Dated 7th May, 2019 -- In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered person specified in column (3) of the table below, shall in respect of supply of goods or services or both specified in column (2) of the Table below, received from an unregistered supplier shall pay tax on reverse charge basis as recipient of such goods or services or both, namely:-

Table

Sl. No.	**Category of supply of goods and services**	**Recipient of goods and services**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Supply of such goods and services or both [other than services by way of grant of development rights, long term lease of land (against upfront payment in the form of premium, salami, development charges etc.) or FSI (including additional FSI)]which constitute the shortfall from the minimum value of goods or services or both required to be purchased by a promoter for construction of project, in a financial year (or part of the financial year till the date of issuance of completion certificate or first occupation, whichever is earlier) as prescribed in notification No. 11/ 2017- State Tax (Rate), dated 29th June, 2017, at items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) against serial No. (3), published in Gazette of Jharkhand vide S.O. No. 41, dated 29th June, 2017, as amended.	Promoter.

2	Cement falling in chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)which constitute the shortfall from the minimum value of goods or services or both required to be purchased by a promoter for construction of project, in a financial year (or part of the financial year till the date of issuance of completion certificate or first occupation, whichever is earlier) as prescribed in notification No. 11/ 2017- State Tax (Rate), dated 29th June, 2017, at items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) against serial No. (3), published in Gazette of Jharkhand vide S.O. No. 41, dated 29th June, 2017, as amended.	Promoter.
3	Capital goods falling under any chapter in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) supplied to a promoter for construction of a project on which tax is payable or paid at the rate prescribed for items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) against serial number 3 in the Table, in notification No. 11/ 2017- State Tax (Rate), dated 29th June, 2017, published in Gazette of Jharkhand vide S.O. No. 41, dated 29th June, 2017, as amended.	Promoter

Explanation. - For the purpose of this notification, -

(i) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

(ii) "project" shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP);

(iii) the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

(iv) "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP.

(v) the term "floor space index (FSI)" shall mean the ratio of a building's total floor area (gross floor area) to the size of the piece of land upon which it is built.

2. This notification shall be deemed to be effective from 1st April, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2019]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Prashant Kumar,
Secretary-cum-Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2019

अधिसूचना सं०. 7/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 48 दिनांक 7 मई, 2019-- (अ).- झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट पंजीकृत व्यक्ति, किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त नीचे तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता के रूप में विलोमत: प्रभार के आधार पर कर का भुगतान करेगा, यथा:-

तालिका

क्र.सं.	**माल और सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणी**	**माल और सेवाओं का प्राप्तकर्ता**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	ऐसे माल और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति [डेवलपमेंट राइट्स के अनुदान, भूमि का दीर्घकालिक पट्टा (प्रीमियम, सलामी, विकास शुल्क आदि के रूप में अग्रिम भुगतान के प्रति) या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) के माध्यम से सेवाओं के अलावा] अधिसूचना सं0. 11/2017- राज्य कर, दिनांक 29.06.2017, यथा संशोधित, जिसे एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29.06.2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (iक), (iख), (iग), (iघ), (iङ) और (iच) में यथा निर्धारित किसी वित्तीय वर्ष(या पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि तक वित्तीय वर्ष का भाग या पहले व्यवसाय, जो भी पहले हो, तक) में, जो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित माल या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य से कमी को संस्थापित करता है ।	प्रोमोटर
2	सीमेन्ट जो कि सीमाशुल्क टैरिक अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आता है जो कि अधिसूचना सं०. 11/2017- राज्य कर, दिनांक 29.06.2017, यथा संशोधित, जिसे एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29.06.2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र में	प्रोमोटर

	प्रकाशित किया गया है, के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (iक), (iख), (iग), (iघ), (iङ) और (iच) में यथा निर्धारित किसी वित्तीय वर्ष(या पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि तक वित्तीय वर्ष का भाग या पहले व्यवसाय, जो भी पहले हो, तक) में, जो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित माल या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य से कमी को संस्थापित करता है ।	
3	पूंजीगत माल जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के किसी भी अध्याय के अंतर्गत आता हो और जिसे ऐसे किसी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर को आपूर्ति किया गया हो जिस पर अधिसूचना सं. 11/2017- राज्य कर, दिनांक 29.06.2017, यथा संशोधित, जिसे एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29.06.2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (iक), (iख), (iग), (iघ), (iङ) और (iच) में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान देय हो या किया जाता हो ।	प्रोमोटर

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य हेतु, -

(i) **"प्रमोटर"** शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।

(ii) “प्रोजेक्ट” से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है

(iii) “रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)” का वही अभीप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट , 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यढ) में दिया गया हो।

(iv) ”रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)” का अभिप्रायः उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/03/2019]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,

सचिव-सह-आयुक्त ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 369 -- 50.